

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.- 0141-2399335, 2399336 ई-मेल- ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/27/32


जयपुर दिनांक 07/11/19

संशोधित विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के तहत बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 30357 दिनांक 24.01.19 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 7265 दिनांक 27.05.19 तथा किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों के मनोनयन हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 30191 दिनांक 24.01.19 द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन पत्र आमंत्रित गये थे। जिनमें जयपुर जिले में गठित बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य (01 अध्यक्ष व 04 सदस्य, जिनमें से 01 महिला आवश्यक) पद हेतु तथा किशोर न्याय बोर्ड जयपुर प्रथम व जयपुर द्वितीय में सदस्य (02-02 सदस्य, जिनमें से 01-01 महिला आवश्यक) पद हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन दिनांक 22.11.2019 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

अधिक जानकारी विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in के <http://sje.rajasthan.gov.in/commissions/DCR/> लिंक से प्राप्त की जा सकती है।

नोट-विभाग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 30357 दिनांक 24.01.19, विज्ञप्ति क्रमांक 30191 दिनांक 24.01.19 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 7265 दिनांक 27.05.19 के क्रम में जिन अभ्यर्थियों द्वारा जयपुर बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के लिए पूर्व में आवेदन किया गया है, उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।



(डॉ. वीना प्रधान)

आयुक्त एवं शासन सचिव

एवं

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट-3/16/

जयपुर दिनांक 07/11/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 27/33-150

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. माननीय अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।

6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
11. उपनिदेशक (प्रचार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक / सहायक निदेशक, / लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
13. सहायक निदेशक,, जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदकों से आवेदन 02 प्रतियों में प्राप्त कर, 01 प्रति जिला कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करें। बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड हेतु पृथक-पृथक प्राप्त समस्त आवेदनो को निर्धारित प्रारूप में संकलित कर आवेदनों की मूल प्रति मय संलग्नक दिनांक 27.11.2019 तक विशेष वाहक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक